

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार  
 श्रीमान जी ग्राम जोदारो का खाता नं० के जमाबंदी संवत् 2075-78 है खाता नं०  
 130, 8 में सुधी का नाम संवत् 2075-78 में समरखा पुत्र मुसलमान है जो कि  
 जमाबंदी दर्तावेजी के माध्याम पर इकराम खाता नं० का उचित है  
 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी  
 दिनांक :- 21/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निर्णय है कि आवेदन पत्र में वर्तमान अनुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किने जाने की अधिसूचना की जाती है / नहीं की जाती है।

*[Signature]*  
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)  
 :- आदेश :-

दिनांक :- 21/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर संज्ञस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नोक्त दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
L	जोदारो का वारा	2075-78	130, 8	समरखा पुत्र उदयपुरवा जी मुसलमान	समरखा पुत्र इकराम खाता नं० मुसलमान

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी, तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 21/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 715-16  
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुदागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

समरखा पुत्र इकराम खाता नं० मुसलमान  
 तथा समरखा पुत्र इकराम खाता नं० का ही  
 व्यक्ति है जिसे ही व्यक्तिगत रूप से  
 दे जायगी है।  
*[Signature]*  
 सरपंच

शाम प. ढाणिया भोड़की  
 पं.स. - उदयपुरवाटी (झुंझुनू)

*[Signature]*  
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी